राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

20/198, कावेरी पथ, सैक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर।
फोन नं. – 0141-2399335, 2399336, ई–मेल – dcr.raj@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 41(1)प्रायोजन/आ.ई.सी.पी.एस./दिशा–निर्देश/बा.अ.वि./2015/5742 दिनांकः 06.05.2021

आदेश

विषयः– उत्कर्ष योजना संचालन दिशा–निर्देश, 2021 के क्रियान्वयन के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में 18 वर्ष से कम उम्र के देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिकाओं की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपबंध किये गये हैं।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 45 एवं नियम 24 के तहत् 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चे के परिवार, बाल देखरेख संस्थान, जहां बच्चा आवासरत हैं, को अनुपूरक सहायता प्रदान किये जाने के प्रावधान किये गये है।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "बाल संरक्षण सेवायें (सी.पी.एस.)" के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिकाओं को संस्थागत देखरेख की जगह पारिवारिक वातावरण में देखरेख हेतु पुनर्वासित प्रायोजन सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई हैं।

राज्य में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिकाओं के संस्थागत देखरेख से विमुखीकरण के दौरान पुनर्वासित प्रायोजन सहायता के सबन्ध में राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार **उत्कर्ष योजना संचालन दिशा–निर्देश, 2021** लागू किये जाते हैः–

1. <u>उद्देश्य–</u>

(i) राजकीय एवं गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थानों में आवासरत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिका को उनके जैविक या विस्तारित परिवार में प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रायोजन सहयोग प्रदान करना।

(ii) कोविड–19 महामारी के परिपेक्ष्य में परिवार में विमुख या फोस्टर केयर में मौजूद बालक/बालिकाओं की शिक्षा हेतु प्रायोजन सहयोग प्रदान करना।

2. <u>पात्रता–</u>

(i) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिका जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो तथा उसे बाल कल्याण समिति द्वारा प्रायोजन सहायता प्रदान करने योग्य माना गया हो।

(ii) कोविड–19 महामारी के परिपेक्ष्य में परिवार में विमुख या फोस्टर केयर में मौजूद बच्चे जिन्हें जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा प्रायोजन सहायता प्रदान करने योग्य माना गया हो।

3. <u>प्रायोजन के माध्यम से बच्चों को जोड़ने की प्रक्रिया–</u>

(i) बाल देखरेख संस्थान में आवासरत बालक/बालिका को प्रायोजन कार्यक्रम से जोडने के लिए बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (प्रारूप 22), व्यक्तिगत देखरेख योजना (प्रारूप 07) एवं इतिवृत्त (प्रारूप 43) के आधार पर बच्चे को प्रायोजन सहायता की आवश्यकता के सबन्ध में आंकलन किया जायेगा।

(ii) बाल देखरेख संस्थान द्वारा आंकलन के आधार पर बच्चे के प्रायोजन सहायता हेतु योग्य पाये जाने का प्रस्ताव मय सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, व्यक्तिगत देखरेख योजना एवं इतिवृत्त के साथ संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (जहॉ पर बच्चे के सबन्ध में जॉच/विचारण प्रक्रियाधीन है) को इकाई की अनुशंषा हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(iii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल देखरेख संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर बच्चे के प्रायोजन सहायता हेतु इकाई की अनुशंषा संबंधित बाल कल्याण समिति (जहॉ पर बच्चे के सबन्ध में जॉच/विचारण प्रक्रियाधीन है) को आवश्यक निर्णय हेतु प्रेषित की जायेगी।

(iv) बाल देखरेख संस्थान द्वारा बाल कल्याण समिति के अन्तिम आदेश (जॉच/विचारण उपरान्त) से संस्थागत किये गये है, के प्रकरणों में भी बच्चे को प्रायोजन सहायता की आवश्यकता के सबन्ध में आंकलन किया जायेगा।

(v) कोविड–19 महामारी के परिपेक्ष्य में परिवार में विमुख या फोस्टर केयर में मौजूद बच्चों की शिक्षा की आवश्यकताओं तथा परिवार की आर्थिक असक्षमता का जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से आंकलन किया जायेगा।

(vi) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल कल्याण समिति के आदेश के अधिकतम 15 दिवस के भीतर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। माता/पिता/उपयुक्त व्यक्ति को चिकित्सा, पोषण, शिक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुपूरक सहायता प्रदान की जायेगी।

(vii) प्रायोजन सहायता की अवधि मामला दर मामला परिवार की परिस्थितियों एवं बच्चों की उम्र के आधार पर निर्धारित की जायेगी। यह अवधि 03 वर्ष अथवा संबन्धित बालक/बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण करने, जो भी पहले हो, तक लागू होगी।

(viii) असाधारण/दुर्लबतम मामलों में बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे की परिवार में अच्छे से परवरिश, सकुशलता एवं विकास के लिए निरंतर सहायता की आवश्यक को दृष्टिगत रखते हुये 03 वर्ष से अधिक अवधि का विस्तार करने पर निर्णय लिया जा सकेगा, जो कि अधिकतम 02 वर्ष अथवा संबन्धित बालक/बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण करने, जो भी पहले हो, तक लागू होगी।

4. <u>बाल कल्याण समिति की भूमिका–</u>

(i) बाल देखरेख संस्थान से किसी बालक/बालिका को प्रायोजन कार्यक्रम से जोडने के लिए प्राप्त प्रस्ताव एवं जिला बाल संरक्षण इकाई की अभिशंषा तथा बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, व्यक्तिगत देखरेख योजना एवं इतिवृत्त के आधार पर बच्चे को प्रायोजन सहायता प्रदान करने के संबन्ध में उपयुक्त विनिश्चय किया जायेगा।

(ii) प्रायोजन सहायता हेतु बच्चे की ओर से कोई आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में 15 दिवस के भीतर परिवीक्षा अधिकारी/अन्य अधिकृत व्यक्ति/संस्था के माध्यम से बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, व्यक्तिगत देखरेख योजना एवं इतिवृत्त तैयार करायी जाकर बच्चे को प्रायोजन सहायता प्रदान करने के संबन्ध में उपयुक्त विनिश्चय किया जायेगा।

(iii) बाल कल्याण समिति द्वारा स्व–विवेक स्तर पर भी किसी बच्चे को प्रायोजन सहायता प्रदान करने के संबन्ध में जिला बाल संरक्षण इकाई से 15 दिवस के भीतर परिवीक्षा अधिकारी/अन्य अधिकृत व्यक्ति/संस्था के माध्यम से बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, व्यक्तिगत देखरेख योजना एवं इतिवृत्त तैयार करायी जायेगी।

(iv) बाल कल्याण समिति द्वारा स्व–विवेक प्रकरणों में किसी बच्चे को प्रायोजन सहायता प्रदान करने के संबन्ध में भी जिला बाल संरक्षण इकाई की अनुशंषा प्राप्त की जायेगी।

(v) बाल कल्याण समिति द्वारा स्वंय की संतुष्टि हेतु संबन्धित बालक/बालिका एवं माता/पिता/उपयुक्त व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा सकेगा।

(vi) बाल कल्याण समिति द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन जॉच/विचारण अथवा निस्तारित प्रकरणों में किसी भी माध्यम से बच्चे के संस्थागत देखरेख से विमुखीकरण हेतु बालक/बालिका को प्रायोजन सहायता प्रदान की जा सकेगी।

(vii) कोविड–19 महामारी के परिपेक्ष्य में परिवार में विमुख या फोस्टर केयर में मौजूद बालक/बालिका की शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जिला बाल संरक्षण इकाई की अनुशंषा पर बालक/बालिका को प्रायोजन सहायता प्रदान की जा सकेगी।

(viii) बाल कल्याण समिति द्वारा नियम 24 (5) के तहत बच्चे को प्रायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रारूप 36 में संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (जहॉ पर बच्चे के सबन्ध में जॉच/विचारण प्रक्रियाधीन है) को आदेश जारी किया जायेगा।

(ix) बाल कल्याण समिति द्वारा प्रायोजन सहायता के संबन्ध में आदेश जारी करते समय बच्चे की प्रायोजन की विशिष्ट आवश्यकता का उल्लेख किया जायेगा।

(x) बालक/बालिका को प्रायोजन कार्यक्रम से जोडने के क्रम में बाल कल्याण समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम होगा।

5. <u>प्रायोजन भत्ता संबंधी वित्तीय प्रावधान–</u>

(i) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल संरक्षण सेवायें (सी.पी.एस.) के अंतर्गत जिला स्तर पर निर्धारित मद "प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख कोष" में से प्रायोजन सहायता हेतु जुड़े संबन्धित बालक/बालिका को प्रायोजन भत्ता जारी किया जायेगा।

(ii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रत्येक बच्चे को प्रायोजन भत्ते के रूप में राशि रूपये 2,000/– प्रतिमाह जारी की जा सकेगी।

(iii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रायोजन भत्ता बच्चे के नाम से बैंक बचत खाते में मासिक स्तर पर जारी किया जायेगा। बैंक खाते का संचालन बच्चे के माता/पिता/उपयुक्त व्यक्ति (जहॉ तक संभव हो माता) द्वारा किया जायेगा।

(iv) इन दिशा–निर्देशों के तहत 1 परिवार के अधिकतम 2 बालक/बालिका को लाभान्वित किया जा सकेगा।

(v) प्रायोजन कार्यक्रम के तहत् 1 बच्चे को अधिकतम 3 वर्ष अथवा संबन्धित बालक/बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण करने, जो भी पहले हो (असाधारण/दुर्लबतम मामलों को छोड़कर) तक लाभान्वित किया जायेगा।

(vi) प्रायोजन भत्ता जारी करने से निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त किये जायेंगे–

- सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (प्रारूप 22)
- व्यक्तिगत देखरेख योजना (प्रारूप 07)
- इतिवृत्त (प्रारूप 43)
- उपयुक्त व्यक्ति की उद्घोषणा संबंधी आदेश की प्रति (यदि लागू हो)
- बाल कल्याण समिति द्वारा जारी आदेश (प्रारूप 36)
- बच्चे का जन्म प्रमाण–पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- बच्चे की अन्तिम कक्षा संबन्धी प्रमाण–पत्र/अंक–तालिका
- बैंक खाता विवरण

(vii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक बच्चे के बैंक बचत खाते में प्रायोजन भत्ता जमा कराया जायेगा।

6. प्रायोजन भत्ता बन्द करने संबंधी प्रावधान–

(i) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल कल्याण समिति की अनुशंषा अथवा निम्न वर्णित परिस्थितियों में से किन्हीं कोई परिस्थिति में बच्चे का प्रायोजन भत्ता बन्द किया जा सकेगा–

- बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर।
- बच्चे की प्रायोजन की विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने पर।
- बच्चे के पुनः बाल देखरेख संस्थान में प्रवेशित होने पर।
- बच्चे के शिक्षा/रोजगारमुखी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने की स्थिति में।
- बच्चे के परिवार आधारित देखरेख हेतु किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर।

(ii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे का प्रायोजन भत्ता बन्द किये जाने के संबंध में कारणों का उल्लेख करते हुये संबंधित बाल कल्याण समिति को सूचित किया जायेगा।

7. माता/पिता/उपयुक्त व्यक्ति (परिवार) से अपेक्षाएं–

(i) बच्चे को नियमित अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना।

(ii) बच्चे के किशोरावस्था के दौरान उसको आत्मनिर्भर एवं कौशल प्रदान करने के लिए किसी रोजगारमुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

(iii) बच्चे को उम्र के अनुसार पोषण तथा स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना।

(iv) बच्चे को किसी श्रम अथवा अनैतिक कार्य में नियोजित नहीं करना तथा किसी प्रकार के दुर्व्यवहार से संरक्षित रखना।

(v) बच्चे की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में बाल कल्याण समिति/जिला बाल संरक्षण इकाई के आदेश की पालना करना।

8. <u>अनुवर्तन/संचालन/समीक्षा–</u>

(i) उत्कर्ष योजना संचालन दिशा–निर्देश, 2021 के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अन्य कार्य सम्पादन हेतु राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी/आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान तथा जिला स्तर पर सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(ii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संस्थागत देखरेख से विमुख होने वाले बच्चों एवं उनके माता/पिता/उपयुक्त व्यक्ति के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे के परिवार की आर्थिक/सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

(iv) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रायोजन कार्यक्रम के तहत् लाभान्वित किये जाने वाले बालक/बालिकाओं के आवश्यक दस्तावेज (जन्म प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड इत्यादि) बनवाने तथा बैक खाता खुलवाने संबन्धी कार्यवाही सम्पादित करवायी जायेगी।

(v) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रायोजन कार्यक्रम के तहत् लाभान्वित किये गये बच्चे की देखभाल के संबंध में त्रैमासिक स्तर पर निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संबंधित बाल कल्याण समिति को अग्रेषित की जायेगी।

(vi) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिले में इन दिशा–निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबन्धित हितधारकों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करते हुये समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(vii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रायोजन कार्यक्रम के तहत लाभान्वित बच्चों का रजिस्टर मय व्यक्तिगत पत्रावली एवं निरीक्षण पत्रावली संधारित की जायेगी।

(viii) राज्य सरकार के निर्देशों पर इन दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत (यदि कोई हो) निर्धारित प्रक्रियाओं/अभिलेख/प्रारूप/जांच/निरीक्षण प्रतिवेदन, अनुबन्ध पत्र, शर्तों आदि में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

(ix) उत्कर्ष योजना संचालन दिशा–निर्देश, 2021 के निर्वचन, विवेचन एवं संशोधन की शक्तियां राज्य सरकार में निहित होगी।

यह आदेश वित्त विभाग, राजस्थान की आई.डी. संख्या 132000181 दिनांक 05.10.2020 के आलोक में जारी किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(महेश चन्द्र शर्मा)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव
बाल अधिकारिता विभाग
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

क्रमांकः एफ 41(1)प्रायोजन/आ.ई.सी.पी.एस./दिशा–निर्देश/बा.अ.वि./2015/5743–6151 दिनांकः 06.05.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, राजस्थान।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. उप सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज. जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, वर्गीकरण एवं नोडल अधिकारी, किशोर न्याय समिति, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई।
8. समस्त अध्यक्ष/सदस्यगण, बाल कल्याण समिति।
9. समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग।
10. समस्त अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह/बालिका गृह/विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी।
11. समस्त अधीक्षक/प्रभारी, गैर राजकीय बाल गृह/बालिका गृह/खुला आश्रय/शिशु गृह/विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी।
12. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक, सारा